पड़ा है। जरा आप बताइए कि फसल बीमा से कितने किसानों को लाभ पहुंचाया गया है ? मेरा यह सुझाव है कि आप फसल बीमा को व्यावहारिक रूप दीजिए। गांव को एक युनिट के रूप में मानिये । पशुओं का भी बीमा करने की आवश्यकता है। आप कारों, ट्रकों और बसों का तो बीमा करते हैं, लेकिन किसान के लिए तो ट्रक, बस या कार पशु ही हैं। किसान की सारी खेती पशुधन पर निर्भर करती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या अधिक होते हुए भी दूध की कमी है और पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि हम खली विदेशों में भेज देते हैं। खली का निर्यात कर दिया जाता है। इसी प्रकार की स्थिति चोकर की भी है। वह भी ऐवेलेबल नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए।

इसके साथ-साथ जो ऊसर जमीन है, जहां पर रेगिस्तान हैं उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरुरत है। गांवों के आस-पास जो ऊसर भूमि है वह गांवों में भूमिहीन लोगों और खेतीहर मजदूरों में मुफ्त में बांट दी जानी चाहिए जिससे वे लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। वृक्षों के लगाने पर भी आप जोर दे रहे हैं। वृक्षों के रख-रखाव पर भी आपको स्वयं व्यय करना चाहिए।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के इन 40 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 30 प्रतिशत भूमि को ही सिंचित कर पाये हैं। 70 प्रतिशत भूमि अभी भी सिंचाई से वंचित है। इसलिए हमारी योजनायें 70 प्रतिशत असिंचित जमीन की ओर ध्यान रखते हुए बनाई जानी चाहिए। जहां पर नहरें हैं उनका पानी 45 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। यही हाल गूलों का भी है। इसलिएं पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए नहरों और गूलों को पक्का किया जाना चाहिए। जो सुझाव मैंने दिये हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हमारे देश का किसान भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा।

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd

Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Madam Deputy Chairman, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), together with an Explanatory Memorandum thereon:—

(i) No. 152/88-Customs, dated the 2nd May, 1988, amending Notifications Nos. 224/81Customs, dated the 1st October, 1981 and 136/86-Customs, dated the 17th February, 1986, so as to (a) reduce basic customs duty on Vinyl Chloride Monomer imported for manufacture of PVC from existing 10 per cent *ad valorem* to 5 per cent *ad valorem*, and (b) reduce basic customs duty on Mono Ethylene Glycol from the existing 110 per cent *ad valorem* to 45 per cent *ad valorem*.

(ii) No. 153/88-Customs, dated the 2nd May, 1988, exempting auxiliary duty on Vinyl Chloride Monomer imported for manufacture of PVC.

[Placed in Library. *See* No. LT-6043A /88 for (i) and (ii)]

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE... contd.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया,... (व्यवधान).. सदन कब तक चलेगा ?

[The Vice-Chairman (Shri Anand Sharma in he Chair)

श्री मौला इर्शादबग : मैं आपको बधाई देता हूं जो पहली बार आपने यह आसन ग्रहण किया।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Charman, I congratulate you on the occasion of your taking the Chair.